



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE  
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS  
 सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय  
 OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS  
 सीमा शुल्क गृह, विल्लिंग्डन आईलैंड, कोचिन  
 CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: [www.cochincustoms.gov.in](http://www.cochincustoms.gov.in)  
 E-mail: [cochincustoms@nic.in](mailto:cochincustoms@nic.in)

Control Room: 0484-2666422  
 Fax: 0484-2668468

F.No. S31/06/2023.Pr.Cus

दिनांक Date: 26.04.2023

**सार्वजनिक सूचना सं. PUBLIC NOTICE NO. 13/2023-24**

**विषय:** सीमा शुल्क गृह, कोचिन में पोत बोर्डिंग ऑफिसर-पायलट द्वारा कैमरा युक्त जैकेट के उपयोग हेतु प्रक्रिया - के संबंध में।

**Subject: Jacket with camera for use by the vessel Boarding Officer- pilot at Custom House Cochin-procedure-reg.**

सभी हितधारकों अर्थात शिपिंग लाइनों, टर्मिनल ऑपरेटरों, लॉजिस्टिक पार्टनरों, सीमा शुल्क ब्रोकर्स, व्यवसायियों, पोत मालिकों/मास्टरों आदि का ध्यान सी बी आई सी की परिपत्र संख्या **07/2022-सीमा शुल्क** दिनांक **07.03.2023**, की ओर आमंत्रित किया जाता है। जिसके माध्यम से बोर्ड ने जहाजों पर ड्यूटी करते समय बोर्डिंग अधिकारियों द्वारा वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग सुविधायुक्त बॉडी वॉर्न कैमरा (बी डब्ल्यू सी) लगे बोर्डिंग जैकेट के उपयोग का निर्देश दिया है।

Attention of all stake holders viz. Shipping lines, terminal operators, logistic partners, custom brokers, businessmen, Vessel owner/Master etc. are invited towards the CBIC Circular no. 07/2022-Customs dated 07.03.2023, through which the Board has directed the use of boarding jackets fitted with Body Worn Camera (BWC) with video/ audio recording facility by Boarding Officers while carrying out duties on board vessels.

2. इस संबंध में, बोर्डिंग अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा-

In this regard, the following procedure shall be followed by the boarding officers-

i. जहाज पर चढ़ने से पहले बोर्डिंग अधिकारी अपने नाम और बैज वाली जैकेट पहनेंगे। बॉडी वियर कैमरे को दाहिनी ओर विशेष रूप से बॉडी कैमरा रखने के लिए डिज़ाइन किए गए स्थान पर लगाया जाना होगा। जहाज के चालक दल और सत्यापन प्रक्रिया के समय अधिकारी के साथ बातचीत की छवि को स्पष्ट रूप से कैमरे में सहेजने के लिए कैमरे को सीधा रखा जाना होगा।

The boarding officer shall wear the jacket with their name and badges before boarding the vessel. The body worn camera shall be placed on the right side at a Space specifically designed to hold the body camera. The camera shall be placed upright to capture the image of interaction with vessel's crew and verification process clearly.

ii. रिकॉर्डिंग कैमरे को इस तरह से रखा जाएगा कि फुटेज देखने वाले अधिकारी के नजरिए से स्थिति को देखा जा सके।

The recording camera would be positioned in such a manner so that those watching the footage see the situation from the officer's perspective.



iii. बोर्डिंग अधिकारी बोर्डिंग ड्यूटी की शुरुआत में गैंगवे के पास आने पर अपने कैमरे को सक्रिय करेंगे और लोगों को आगाह करेंगे कि उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है। रिकॉर्डिंग तब तक निर्बाध रूप से जारी रहेगी जब तक कि अधिकारी जहाज से उतर नहीं जाता और गैंगवे के अंत तक वापस नहीं पहुँच जाता।

The Boarding Officer shall activate their camera at the start of their boarding duty on approaching the gangway and make people aware that they are being recorded. The recording shall be continued uninterrupted until the officer de-boards the vessel, and reaches back at the end of the gangway.

iv. हितधारकों की किसी भी असुविधा को दूर करने के लिए, बोर्डिंग अधिकारी अग्रिम रूप से शिपिंग एजेंट/ शिपिंग लाइन को सूचित करेंगे कि, बोर्डिंग कार्यों की रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। जिससे बोर्डिंग कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए शिपिंग एजेंट/ शिपिंग लाइन, मास्टर ऑफ वेसल को सूचित करेंगे।

To ease out any inconvenience to stakeholders, the Boarding Officer in advance shall inform the Shipping Agent/Line that the recording of boarding functions is mandatory. The Shipping Agent/Line, in turn, will inform the Master of Vessel for smooth completion of Boarding functions.

V. बोर्डिंग अधिकारी द्वारा उपयोग किया जाने वाला बी डबल्यू सी, वाई-फाई या सिम कार्यक्षमता रहित एक स्टैंड-अलोन उपकरण है। यदि खतरनाक सामग्रियों वाले कार्गो को ले जाने वाले पोत के सुरक्षा अधिकारी का यह मत है कि पोत के अंदर के कुछ क्षेत्रों में या पूरे पोत में बी डबल्यू सी का उपयोग सुरक्षित नहीं है, तो उस आशय की पुष्टि सुरक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी, और यदि आवश्यक हो तो पहचान किए गए क्षेत्रों में बोर्डिंग अधिकारी, बी डबल्यू सी का उपयोग नहीं करेंगे। बोर्डिंग अधिकारी सहायक/उप आयुक्त (बोर्डिंग) को सूचित करेंगे जो तत्पश्चात में इसे स्वतंत्र रूप से पुनर्सत्यापन के लिए संयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त (बोर्डिंग) के संज्ञान में लाएंगे।

The BWC used by Boarding Officer is a stand-alone device without Wi- Fi or SIM functionality. If the Safety Officer of the Vessel carrying hazardous cargo opines that the usage of the BWC is not safe in certain areas inside the Vessel or entire Vessel, then the endorsement to that effect shall be taken from Safety Officer, and the Boarding Officer will not use BWC while in identified areas, if required. The Boarding Officer shall inform the Assistant/Deputy Commissioner (Boarding) who in turn will bring this to the notice of Joint/ Additional Commissioner (Boarding) for independent cross - verification.

इस सार्वजनिक सूचना के कार्यान्वयन में किसी भी कठिनाई का सामना किए जाने पर उसे अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया जाए।

Any difficulty faced in implementation of this Public Notice may be brought to the notice of the undersigned.

पी. जयदीप P JAIDEEP , भा.रा.से.

सीमा शुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS

प्रति To: सहा. आयु./ उप. आयु./संयु. आयु., सूचना पट्ट, सीमा शुल्क गृह, कोचिन की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ई डी आई अनुभाग को AC/DC/JC/Commissioner, Notice Board, EDI Section, Custom House Cochin, for uploading in the Website.

प्रतिलिपि Copy to: मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone,